



विकसित बिहार के 7 निश्चय



बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Advt. No. - SPMU/02/2026

आवश्यक सूचना

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत योजना के पोर्टल (MNSSBY) पर अंकित सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के कुल सचिव/निदेशक/प्रधानाचार्य/संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है, को योजना अंतर्गत सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में अधिष्ठापित अंतरविभागीय समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में पात्रता हेतु नियमावली में बदलाव किया गया है, जो इस प्रकार है :-

- I. सभी संस्थान अपने पाठ्यक्रवार आवंटित सीटों के अंतर्गत ही नामांकित छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण प्राप्ति हेतु बोनाफाईड निर्गत करेंगे।
- II. सभी संस्थान वर्तमान एवं अगामी सत्र के लिए नामांकित छात्र-छात्राओं को बोनाफाईड निर्गत तभी करेंगे जब संस्थान को संबंधित विभाग के NOC एवं विश्वविद्यालय का संबंधन पत्र प्राप्त हो।
- III. यदि किसी संस्थान के पाठ्यक्रमों के आवंटित सीटों में वृद्धि की जाती है, वैसी स्थिति में संबंधित विभाग एवं विश्वविद्यालय के संबंधन प्राप्त होने के पश्चात् राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कार्यालय को सूचित करेंगे। विभागीय अनुमोदनोपरांत ही वृद्धि सीटों पर नामांकित छात्र-छात्राओं को बोनाफाईड निर्गत किया जाए।
- IV. यदि संस्थान का नाम अथवा पाठ्यक्रम योजना के पोर्टल (MNSSBY) पर अंकित नहीं है, तो वैसी स्थिति में नामांकित छात्र-छात्राओं को इस योजना के लाभ के लिए बोनाफाईड निर्गत नहीं करेंगे।
- V. सभी संस्थान अपने वेबसाइट पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत मान्य पाठ्यक्रम यथा MNSSBY पोर्टल पर अंकित पाठ्यक्रमों के अनुसार आवंटित सीट एवं कुल शैक्षणिक शुल्क को सभी छात्र-छात्राओं के लिए सहज एवं सरल रूप में प्रदर्शित करेंगे।

प्रमारी पदाधिकारी

SPMU, BSCC

PR- 002904 (Education) 2026-27

नोडल पदाधिकारी

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना